

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2010 ई०

सं०-यू०ओ०-03/XXVII(9)/2010/स्टाम्प/2010-राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 78(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम सुमाड़ी, नकोट लग्गा खालू, सुपाणा लग्गा खालू एवं स्यार मल्ला जनपद पौड़ी गढ़वाल, में स्थित 9.662 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एन०आई०टी०) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O. 03/XXVII(9)/2010/Stamp/2010, Dehradun, dated April 12, 2010 for general information :

NOTIFICATION

April 12, 2010

No. U.O. 03/XXVII(9)/2010/Stamp/2010--In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) and Section 78 (A) of Registration Act, 1908. The Governor is pleased to remit the stamp fees and registration fees chargeable by the State Government on transfer of 9.662 Hect. land situated at village Sumari, Nakot Lagga Khalu, Supanda Lagga Khalu and Sayar Malla, Distt. Pauri Garhwal, by way of giftdeed to the National Institute of Technology (NIT).

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Principal Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 24-4-2010, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 27 वित्त/272-03-5-2010-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।